स मा ह र णा ल य, कि श न गं ज

(जिला राजस्व प्रशाखा)

-::आदेश::-

प्रस्तुत मामला श्री राम चन्द्र राय, राजस्व कर्मचारी, ठाकुरगंज अंचल कार्यालय, समाहरणालय, किशनगंज (अब सेवा निवृत्त) द्वारा अपने पदस्थापन काल में चाय की खेती की लीज बन्दोबस्ती, नियम के विरूद्ध करने का आरोप प्रमाणित होने के पश्चात् उनके विरूद्ध बिहार पेंशन नियमावली के नियम–43(बी) के अन्तर्गत दंड अधिरोपित करने से संबंधित है।

संक्षिप्त विवरण ::

श्री राम चन्द्र राय, सेवा निवृत्त, राजस्व कर्मचारी, ठाकुरगंज अंचल समाहरणालय, किशनगंज द्वारा अपने पदस्थापन काल में राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना के पत्र संख्या–1697/रा0, दिनांक–22.11.1995 को आधार बनाकर औधोगिक इकाई की स्थापना के लिए सरकार द्वारा निर्धारित दर पर चाय की खेती के लिए आवेदकों के साथ सरकारी भूमि की अस्थायी लीज बन्दोबस्ती के लिए प्रस्ताव अपनी अनुशंसा के साथ समर्पित किया गया। चाय की खेती एक ही परिवार के कई सदस्यों के साथ सरकारी भूमि की अस्थाई लीज बन्दोबस्ती व्यक्ति विशेष को लाभ पहुँचाने के उद्येश्य से नियम के विरूद्ध अनुशंसा करने के आरोप में उनके विरूद्ध आरोप पत्र प्रपत्र 'क' गठित कर कार्यालय आदेश ज्ञापांक–597/जि0रा0, दिनांक–03.07.2006 के द्वारा विभागीय कार्यवाही आरम्भ किया गया।

आरोप ::

श्री राम चन्द्र राय, सेवा निवृत्त राजस्व कर्मचारी के विरूद्ध लगाये गये आरोप निम्नलिखित हैं :–

आरोप संख्या 01 :– राजस्व कर्मचारी, ठाकुरगंज के पद पर रहते हुए राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना के पत्र संख्या–1697/रा., दिनांक–22.11.1995 के आधार पर चाय की खेती के लिए आवेदकों के साथ सरकारी भूमि की अस्थाई लीज बन्दोबस्ती के लिए उन्होंने अपना प्रस्ताव एवं अनुशंसा समर्पित किया, जिसके लिए वे सक्षम नहीं हैं। उनका यह कार्य राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना के दिशा–निर्देश के प्रतिकूल है।

आरोप संख्या 02 :–राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना के पत्र सं0–1697/रा., दिनांक–22.11.1995 के आलोक में औधोगिक इकाई की स्थापना के लिए सरकार द्वारा निर्धारित दर पर पौन एकड़ तक भूमि आवंटित किया जाना था। उन्होंने व्यक्ति विशेष को लाभ पहूँचाने के उद्देश्य से सरकार के इस परिपत्र की गलत व्याख्या कर चाय की खेती के लिए लीज बन्दोबस्त का प्रस्ताव दिया है, जो नियम के विरूद्ध है।

आरोप संख्या 03 :– किशनगंज जिला के ठाकुरगंज में चाय की खेती के लिए आपके द्वारा गैर मजरूआ आम जमीन का प्रस्ताव दिया है, जो राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के पत्रांक–576/रा0, दिनांक–08.04.99 के प्रावधानों के प्रतिकूल है। गैर मजरूआ आम जमीन की प्रकृति बदल जाने पर भी बन्दोवस्ती का अधिकार सरकार में निहित है।

आरोप संख्या 04 :– एक ही परिवार के कई सदस्यों के साथ उनके द्वारा सरकारी भूमि की लीज बन्दोबस्ती का प्रस्ताव दिया गया, जो सरकारी अनुदेशों एवं नियमों के प्रतिकूल है एवं यह बन्दोबस्ती प्रस्ताव स्वार्थवश किया गया प्रतीत होता है।

श्री राय द्वारा सरकारी भूमि की अस्थायी बन्दोवस्ती हेतु समर्पित प्रस्ताव एवं अनुशंसा का विवरण निम्न प्रकार है :–

क्र0	अभिलेख संख्या	आवेदक का नाम/ पता	मौजा/ थाना	खाता	खेसरा	रकवा	किस्म जमीन
1	2	3	4	5	6	7	8
01	01/97–98	श्रीमती सुलोचना देवी, पति–श्री अशोक कु0 दोलिया, सा0–ठाकुरगंज	गोथरा/ 16	416	3784 3710 3713	0.86 0.21 0.21 1.28 एकड़	पुरानी परती
02	02/97–98	श्री राजू कुमार वैद्य, पिता–श्री बच्चा लाल वैद्य सा0–किशनगंज	गोथरा/ 16	416	3820	3.00 एकड़	पुरानी परती
03	03/97–98	श्रीमती पदमा जैन, पति श्री सुनिल कुमार सरावगी, सा0–दिनाजपुर रोड, किशनगंज	गोथरा/ 16	416	3782 3785	2.71 0.95 3.66 एकड़	पुरानी परती
04	04/97–98	श्रीमती शान्ति देवी सरावगी, पति–चांदमल सरावगी, सा0–दिनाजपुर रोड, किशनगंज	गोथरा/ 16	416	3820	3.00 एकड़	पुरानी परती
05	05/97–98	श्री सुनील कुमार सरावगी, पिता–चांदमल सरावगी, सा0–किशनगंज	गोथरा/ 16	416	3820	3.00 एकड़	पुरानी परती

संचालन पदाधिकारी की नियुक्ति ::

श्री राय, राजस्व कर्मचारी के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही के संचालन के लिये इस कार्यालय का आदेश ज्ञापांक–597/जि0रा0, दिनांक–03.07.2006 के द्वारा श्री प्रभात कुमार महथा, भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, किशनगंज को संचालन पदाधिकारी तथा अंचल अधिकारी, ठाकुरगंज को उपस्थापन पदाधिकारी, नियुक्त किया गया। श्री महता, भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, किशनगंज का अन्यत्र स्थानान्तरण हो जाने के कारण श्री देवेन्द्र कुमार सविता, भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, किशनगंज को संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया गया। पुनः उनका स्थानान्तरण हो जाने के फलस्वरूप इस कार्यालय के आदेश ज्ञापांक–784/जि0रा, दिनांक–16.08.2010 के द्वारा श्री कमर आलम, भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, किशनगंज प्रश्नगत् विभागीय कार्यवाही के संचालन पदाधिकारी नियुक्त किये गये। श्री कमर आलम, भूमि सुधार उप समाहर्त्ता–सह संचालन पदाधिकारी, किशनगंज द्वारा श्री राय के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही का संचालन पूर्ण कर अपने पत्रांक 1127/अनु.रा., दिनांक 20.07.2011 के द्वारा संचालन प्रतिवेदन उपलब्ध कराया गया।

संचालन पदाधिकारी का जाँच प्रतिवेदन एवं मन्तव्य :–

श्री राम चन्द्र राय, से.नि., राजस्व कर्मचारी के विरूद्ध लगाये गये आरोपों के परिप्रेक्ष्य में संचालन पदाधिकारी द्वारा विभागीय कार्यवाही का संचालनोपरान्त समर्पित जाँच प्रतिवेदन एवं उनका मन्तव्य निम्नरूपेण है :–

आरोप संख्या	आरोप	आरोपी का स्पष्टीकरण	संचालन पदाधिकारी का मंतव्य
1	2	3	4
01	राजस्व कर्मचारी, पोठिया के पद पर रहते हुए राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना के पत्र संख्या–1697/रा., दिनांक–22.11.1995 को आधार पर चाय की खेती के लिए आवेदकों के साथ सरकारी भूमि की अस्थाई लीज बन्दोवस्ती के लिए अपने प्रस्ताव अपनी अनुशंसा के साथ समर्पित	समाहर्त्ता, किशनगंज ने अपने पत्रांक–21, दिनांक–10.01.1997 के द्वारा पाँच आवेदन पत्र मौजा–गोथरा, थाना नं0–16, खाता गैर मजरूआ आम रकवा 13.94 एकड़ का लीज बन्दोवस्ती हेतु अंचल अधिकारी, ठाकुरगंज को भेजा था, मुझे मात्र अंचल अधिकारी के माध्यम से प्राप्त आवेदन पत्र पर	आरोपित कर्मी का मंशा, विभागीय कार्यवाही में अनावश्यक व्यधान उत्पन्न एवं विलम्ब किये जाने जैसी लगती है। ऐसा प्रतीत होता है कि आरोपित कर्मी को स्पष्टीकरण में कहने के लिए कुछ नहीं है। विभागीय परिपत्र के अनुसार लीज बन्दोवस्ती चाय उद्योग सिमें चाय की खेती प्रसकरण एवं डिब्बा बंदी शामिल था, के लिए दिया जाना था

	किया हैं, जिसके लिए आप सक्षम नहीं हैं। आपका यह कार्य राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना के दिशा–निर्देश के प्रतिकूल है।	स्थलीय जॉच प्रतिवेदन समर्पित करना था। जो मेरे द्वारा किया गया। मुझे विभागीय पत्रांक–1697 /रा0, दिनांक–22.11.1995 की प्रति अथवा उन में निहित निदेश उपलब्ध नहीं करायी गयी। सिर्फ जॉच प्रतिवेदन की मांग की गई थी। विभागीय पत्रांक–1697/रा0, दिनांक–22.11.1995 में निहित निर्देश का पालन सक्षम पदाधिकारी को करना था। अतः मेरे द्वारा विभागीय पत्र में निहित निदेश के किसी भी बिन्दु के प्रतिकूल कार्य नहीं किया गया है।	परन्तु आरोपित कर्मचारी द्वारा केवल चाय की खेती के लिए लीज बन्दोवस्ती का प्रस्ताव दिया गया जो नियम के विपरित था। इस प्रकार आरोपित कर्मी पर आरोप सिद्ध हो जाता है।
02	राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना के पत्र संख्या–1697/रा., दिनांक–22.11. 1995 के आलोक में औधोगिक इकाई की स्थापना के लिए सरकार द्वारा निर्धारित दर पर पौन एकड़ तक भूमि आवंटित किया जाना था। आपने व्यक्ति विशेष को लाभ पहुँचाने के लिए सरकार के इस परिपत्र की गलत व्याख्या कर चाय की खेती के लिए लीज बन्दोबस्त का प्रस्ताव दिया है, जो नियम के विरूद्ध है।	सभी आवेदन जिला स्तर से अंचल में भेजा गया था। इन आवेदन पत्रों में Picks Choose का कोई विकल्प अंचल स्तर पर नहीं था। अतः व्यक्ति विशेष को लाभ पहुचाने के उद्देश्य से यह लीज बन्दोवस्ती किया गया। सही नहीं है और उसके लिये राजस्व कर्मचारी पर दोष या आरोप लगाना न्याय के प्रतिकूल है।	आरोपित कर्मी की मंशा, विभागीय कार्यवाही में अनावश्यक व्यवधान उत्पन्न एवं विलम्ब किये जाने जैसी लगती है। ऐसा प्रतीत होता है कि आरोपित कर्मी को स्पष्टीकरण में कहने के लिए कुछ नहीं है। नियमानुसार सरकार द्वारा पूर्व निर्धारित दर सलामी लेते हुए लीज बन्दोवस्ती का प्रावधान है, परन्तु आरोपित कर्मचारी द्वारा अपने प्रस्ताव में इसका वर्णन नहीं किया है, स्पष्ट है कि व्यक्ति विशेष को लाभ पहुचाने के लिए ऐसा प्रस्ताव दिया गया, जो नियम के विपरित है, इससे कर्मी पर लगा आरोप स्वतः सिद्ध हो जाता है।
03	किशनगंज जिला के ठाकुरगंज में चाय की खेती के लिए आपके द्वारा गैर मजरूआ आम जमीन का प्रस्ताव दिया है, जो राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के पत्रांक–576/रा0, दिनांक–08.04. 99 के प्रावधानों के प्रतिकुल है। गैर मजरूआ आम जमीन की प्रकृति बदल जाने पर भी बन्दोवस्ती का अधिकार सरकार में निहित है।	आरोप संख्या–III कहा है कि ''ठाकुरगंज में चाय की खेती के लिये आपने गैरमजरूआ आम जमीन की लीज बन्दोवस्ती दिया है, जिसकी शक्ति सरकार में निहित है।'' यह पहले ही स्पष्ट कर चुके है कि सभी आवेदन पत्र जिला स्तर से अंचल भेजा गया था जिसमें खाता, खेसरा एवं रकवा अंकित था। इन आवेदन पत्रों पर मेरे द्वारा यथास्थिति केवल जॉच प्रतिवेदन समर्पित किया गया है। लीज बन्दोवस्ती पर निर्णय उच्चाधिकारियों के स्तर पर लिया जाना था।	आरोपित कर्मी अपने बचाव मे कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं कर सके, साथ ही उनकी मंशा, विभागीय कार्यवाही में अनावश्यक व्यवधान उत्पन्न एवं विलम्ब किये जाने जैसी लगती है। ऐसा प्रतीत होता है कि वे आरोपित बिन्दु पर कुछ कहने के लिए सक्षम साबित नहीं हो पा रहे हैं। आरोपित राजस्व कर्मचारी को नगर पंचायत ठाकुरगंज की भूमि कुल 13.94 एकड़ भूमि जो गैर मजरूआ सर्वसाधारण थी का प्रस्ताव देने का कोई अधिकार नहीं था। परन्तु उनके द्वारा नगर पंचायत की सर्वसाधारण भूमि का प्रस्ताव दिया गया जो नियम के विरूद्ध है। अतः उन पर लगे आरोप सत्य है।
04	एक ही परिवार के कई व्यक्तियों के साथ आपके द्वारा सरकारी भूमि की लीज बन्दोवस्ती का प्रस्ताव दिया है, जो सरकारी निदेशों एवं नियमों के प्रतिकूल है एवं यह बन्दोवस्ती प्रस्ताव निहित स्वार्थवश किया गया प्रतीत होता है।	आरोप संख्या–IV कहा है कि ''एक ही सम्पन्न परिवार के कई व्यक्तियों को आपके के द्वारा सरकारी भूमि की लीज बन्दोवस्ती हेतु अनुशंसा की गयी है। जो सरकारी निदेशों एवं नियमों के प्रतिकुल है।'' जैसा की उपर की कंडिका में स्पष्ट किया गया है कि जिला स्तर से प्राप्त आवेदन पत्रों पर मेरे द्वारा जमीन संबंधी जॉच प्रतिवेदन दिया गया। आवेदन पत्र देना है या	बिहार सरकार की औधौगिक नीति 1995 की कण्डिका–07(3) के तहत पॉच एकड़ तक की भूमि की लीज बन्दोवस्ती की शक्ति जिला पदाधिकारी को दी गई थी। इससे अधिक भूमि की लीज बन्दोवस्ती की शक्ति सरकार द्वारा गठित सशक्त समिति के अनुमोदनोपरान्त किया जाना था। परन्तु आरोपित कर्मी द्वारा कुल बन्दोवस्त भूमि 9.66 एकड़ भूमि को टुकड़ों में बॉट कर श्री चॉदमल सरावगी के परिवार के सदस्यों के साथ लीज बन्दोवस्ती का प्रस्ताव दिया गया है

		नहीं, यह उच्चाधिकारियों के स्तर पर विचारनीय मामला था।	जो नियम के विरूद्ध है, इससे आरोपित कर्मी पर लगाया आरोप सिद्ध हो जाता है।

प्रथम आरोप के संबंध में उपरोक्त विवरणी से स्पष्ट है कि राजस्व कर्मचारी के प्रतिवेदन के आधार पर सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्णय लिया गया है। अंचल अधिकारी के मंतव्य में स्पष्ट रूप से अंकित है कि कार्यालय द्वारा उनहें विभागीय पत्र संख्या–1697/रा0, दिनांक–22.11.1995 की प्रति उपलब्ध कराई गयी थी। हल्का कर्मचारी द्वारा आवेदकों को लीज में देने हेतु ''अनुशंसा'' की जाती है, का प्रतिवेदन दिया गया था। इस प्रकार आरोपी का स्पष्टीकरण सत्य प्रतीत नहीं होता है।

दूसरे आरोप के क्रम में उपरोक्त विवरणी से स्पष्ट है कि अंचल अधिकारी द्वारा दिये गये मंतव्य के अनुसार गलत मनसा से आरोपी द्वारा बन्दोबस्ती हेतु अनुशंसा की गई है। चूँकि उक्त मंतव्य में अंकित है कि राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक–1697/रा0, दिनांक–22.11.1995 के आलोक में औधोगिक इकाई की स्थापना के लिए निर्धारित दर पर भूमि आवंटित किया जाना था न कि चाय की खेती के लिए। इस संबंध में हल्का कर्मचारी पूर्ण मामले से अवगत थे।

तीसरे आरोप के संबंध में स्पष्ट है कि एक ही परिवार के व्यक्तियों को अलग–अलग नाम से लीज बन्दोबस्ती हेतु अनुशंसा की गई है। अंचल अधिकारी के मंतव्य में स्पष्ट रूप से अंकित है कि स्थलीय जाँचोपरान्त पाया गया कि एक ही परिवार के रहने के बावजूद अलग–अलग नाम से लीज बन्दोवस्ती की अनुशंसा की गई है। इस प्रकार आरोपी का कथन सत्य प्रतीत नहीं होता है।

विभागीय कार्यवाही के फलाफल के आधार पर नैसर्गिक न्याय के तहत् श्री राय, सेवा निवृत्त राजस्व कर्मचारी से द्वितीय कारण पृच्छा की मांग इस कार्यालय का ज्ञापांक–213/जि0रा0, दिनांक–21.02.2014 के द्वारा की गई। श्री राम चन्द्र राय, सेवा निवृत्त राजस्व कर्मचारी द्वारा दिनांक–25.02.2014 को अपना द्वितीय कारण पृच्छा समर्पित किया गया जो समीक्षोपरान्त संतोषजनक नहीं पाया गया। फलस्वरूप उनके विरूद्ध नियम संगत दण्ड अधिरोपित करने का निर्णय लिया गया।

चूँकि श्री राय, राजस्व कर्मचारी, सेवा निवृत्त हो चुके हैं, अतएव इनपर बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के तहत् कोई दण्ड अधिरोपित नहीं हो सकता, फलतः प्रमाणित आरोपों के परिप्रेक्ष्य में श्री राय, सेवा निवृत्त राजस्व कर्मचारी के विरूद्ध बिहार पेंशन नियमावली के नियम 43 (B) के तहत् दण्ड अधिरोपित करने का प्रस्ताव इस कार्यालय का पत्रांक–2120/जि0रा0, दिनांक– 30.12.2015 के द्वारा प्रधान सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना को भेजा गया। बिहार पेंशन नियमावली के उक्त नियम में यह प्रावधान है कि दोषी सेवा निवृत्त सरकारी कर्मी की पूरी पेंशन या उसका अंश रोक रखने अथवा वापस लेने जैसे दण्ड अधिरोपित किया जा सकता है, परन्तु इसके लिए राज्य सरकार का निर्णय अंतिम और निर्णायक होगा।

संयुक्त निदेशक, कृषि गणना, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना का पत्रांक–नि0को0, किशनगंज–01/2014– 468/नि0को0/रा0, दिनांक–05.05.2016 के द्वारा इस स्तर से भेजे गये प्रस्ताव के आलोक में श्री राम चन्द्र राय, से.नि. राजस्व कर्मचारी, ठाकुरगंज अंचल, समाहरणालय, किशनगंज के विरूद्ध बिहार पेंशन नियमावली 43 (B) के तहत् **10 प्रतिशत** पेंशन रोकने का दण्ड संसूचित किया गया है, जिसपर माननीय विभागीय मंत्री का अनुमोदन भी प्राप्त है।

उपर्युक्त वर्णित परिप्रेक्ष्य एवं विभागीय स्वीकृति के आलोक में बिहार पेंशन नियमावली के नियम 43 (B) के प्रावधान के तहत् श्री राम चन्द्र राय, से.नि. राजस्व कर्मचारी, ठाकुरगंज अंचल, समाहरणालय, किशनगंज वर्तमान पता पिता–स्व0 महेन्द्र राय, ग्राम–ठाकुरगंज शिवमंदिर रोड, (थाना के नीचे)

थाना+पो0–ठाकुरगंज, जिला–किशनगंज के पेंशन से 10 **प्रतिशत** राशि कटौती करने का दण्ड अधिरोपित किया जाता है।

श्री राम चन्द्र राय, सेवा निवृत्त राजस्व कर्मचारी से संबंधित पूर्ण विवरण निम्न प्रकार है :–

01. नाम	:– **श्री राम चन्द्र राय**
02. पिता	:– **स्व0 महेन्द्र राय,**
03. पदनाम	:– **राजस्व कर्मचारी, (सेवा निवृत्त)**
04. जन्म तिथि	:– **09.02.1951**
05. नियुक्ति की तिथि	:– **10.11.1979**
06. वेतनमान	:– **PB-2-9300-34800+GP-4200**
07. सेवानिवृत्त की तिथि	:– **28.02.2011**

08. स्थाई पता :– **ग्राम–ठाकुरगंज शिवमंदिर रोड, (थाना के नीचे) थाना+पो0–ठाकुरगंज, जिला–किशनगंज**

ह0

जिला दण्डाधिकारी एवं समाहर्त्ता,
किशनगंज।

ज्ञापांक–1035/जि0रा0, दिनांक 21.06./2016

प्रतिलिपि :: श्री राम चन्द्र राय, राजस्व कर्मचारी, ठाकुरगंज अंचल, समाहरणालय, किशनगंज, वर्तमान पता, ग्राम–ठाकुरगंज शिवमंदिर रोड, थाना+पो0–ठाकुरगंज, जिला–किशनगंज को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :: सभी अंचल अधिकारी/प्रखंड विकास पदाधिकारी, किशनगंज जिला को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :: कोषागार पदाधिकारी, किशनगंज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :: आई0टी0 मैनेजर, किशनगंज को सूचनार्थ एवं किशनगंज जिला के वेबसाईट पर प्रकाशनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :: उप विकास आयुक्त, किशनगंज/ अपर समाहर्त्ता,किशनगंज/ अनुमंडल पदाधिकारी, किशनगंज/ भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, किशनगंज/ किशनगंज जिला मुख्यालय स्थित समाहरणालय के सभी प्रशाखा पदाधिकारियों को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :: अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को गजट में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :: सभी समाहर्त्ता, बिहार राज्य को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :: आयुक्त, पूर्णियाँ प्रमंडल, पूर्णियाँ को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :: महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :: प्रधान सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

20/06/16

जिला दण्डाधिकारी एवं समाहर्त्ता,
किशनगंज।